(12)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0स0 :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1341 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

मो0 युसुफ जफर, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णियाँ के विरूद्ध कार्य अंचल, पूर्णियाँ अंतर्गत पदस्थापन काल (2016–17) में बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का बिना स्थल जांच के तैयार किये गये प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करने संबंधी आरोपों के लिये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3541 अनु0 दिनांक 07.12.2017 द्वारा श्री जफर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री जफर के पत्रांक 74 दिनांक 10.01.2018 से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया। तद्‌लोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2697 अनु0 दिनांक 08.11.2018 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत श्री जफर, सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी (अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 18 अनु0 दिनांक 30.01.2019 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री जफर के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में उल्लेख किया गया कि प्राक्कलन का गठन कनीय अभियंता के द्वारा किया जाता है जिसको सहायक अभियंता के जॉचोपरान्त कार्यपालक अभियंता को समर्पित किया जाता है। तत्पश्चात् कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता के पास तकनीकी अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। अधीक्षण अभियंता स्तर के पदाधिकारी द्वारा सभी प्राक्कलनों का स्थल निरीक्षण आपदा एवं आकस्मिकता के समय करना संभव नहीं है। जॉच प्रतिवेदन जिसके आधार पर आरोप गठित किया गया है, में उल्लेख किया गया है कि The Superintending Engineer should ensure that the estimate must be prepared on the basis of site condition/ were done before technical sanction. आरोपी पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति नहीं दी गयी केवल तकनीकी अनुमोदन दिया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

3. संचालन पदाधिकारी के उक्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गई एवं सम्यक समीक्षोपरान्त श्री जफर का स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य पाया गया। तद्‌लोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री जफर को आरोप मुक्त करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. अतः उक्त के आलोक में मो0 युसुफ जफर, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.9.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1342 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1342 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं मो0 युसुफ जफर, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता– मोहल्ला– मॉडल कॉलोनी, डाकघर–सिटी पोस्ट ऑफिस, थाना–तातारपुर, जिला–भागलपुर, बिहार, पिन कोड–812002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव